न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम, जाति माली, निवासी गोविन्द भवन, खेमे का कुऑ, पालल रोड़, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर		श्री गौतम कुमार दास पुत्र श्री नागालूम जाति ताम्बोलकर, निवासी होटल टॉपर्स कोर्नर, सेन्ट मैरी रोड़, आबूपर्वत व अन्य – 3

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022

दिनांक 13.02.2023

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम हेटमजी पटवार हल्का आबूपर्वत भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत में स्थित खसरा नंबर पुराने 81 नये 118 की कुल भूमि में से श्री श्याम गोविन्द पुत्र श्री जमनालाल माथुर निवासी उदयपुर के हिस्से की भूमि 19/1090 राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी हरिसिंह गहलोत पुत्र गोविन्दराम जाति माली निवासी गोविन्द भवन पाल रोड़ जोधपुर के नाम से बतौर खातेदार दर्ज की गई है, जो भूमि वर्तमान में नगरपालिका आबूपर्वत के वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत सेन्ट मैरी रोड़ पर आबूपर्वत में स्थित है जो भूमि रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा यानि 0.0174321 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि है, जिसका हिस्सा 10 वाई 10 गज कुल नाप 100 वर्गगज यानि 900 वर्गफीट भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन पट्टाशुदा भूमि है। यह कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मूल वाद के अंतिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अरथाई निषेधाज्ञा पांबद किया जावे कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 11 में वर्णित अपने खातेदारी एवं अधिपत्य की भूमि जो मौजा हेटमजी पटवार मण्डल आबूपर्वत, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत में स्थित नगरपालिका आबूपर्वत के वार्ड संख्या 13 में सेन्ट मैरी रोड़ पर आबूपर्वत में स्थित है, की सुरक्षा के लिये मेडबंदी (बाउण्ड्रीवॉल/फैन्सिंग) करवाने एवं प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से कोई रूकावट एवं बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य से करावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करें। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत के राजस्व वाद संख्या 42/2011 में निर्णय दिनांक 11.04.2011 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांक 24.05.2011 को स्वीकृत किया गया है जिसमें श्री श्याम गोविन्द माथुर पुत्र जमनालाल माथुर का हिस्सा 19/1090 हिस्सा दर्ज किया है के साथ वर्तमान जमाबंदी अनुसार शामलाती सह खातेदारों की भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 24 मई 2011 को नामांतरण श्याम गोविंद के पक्ष में स्वीकृत किए जाने से पूर्व ही श्री श्याम गोविंद द्वारा अवैध रूप से बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज कराएं एवं राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाए अवैध रूप से 100 वर्ग गज का पट्टा प्राप्त किया गया था जिस पट्टे में मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पट्टा जारी करने की तिथि से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य है। यह कि खसरा नंबर पुराने 81 नए नंबर 118 की कोई भी भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है खसरा संख्या 118/381 की 54 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि अवश्य स्थित है जिसका आज तक विभाजन नही हुआ है। यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी इच्छा से वादपत्र के पद संख्या 12 में न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने हेतु चतुर्दशी अंकित की गई है जबकि ऐसी कोई चतुर्दशी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 381 बटा 118 का आज तक विभाजन नही हुआ है इस कारण प्रत्येक खातेदार खसरा संख्या 381 बटा 118 की प्रत्येक इंच भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त एवं [illegible] जुलाई 2019 को वाद संख्या 39/2014 ओमप्रकाश बनाम बजरंग सिंह में प्रारंभिक [illegible] पालना में रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की गई है जिस रिपोर्ट में मौके की स्थिति [illegible] में अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी श्रीमति प्रणति दास जोकि खसरा संख्या [illegible] एवं मौके पर काबिज काश्त है पक्षकार है के स्थान पर राजस्व [illegible] में श्रीमति प्रणति दास [illegible] जीके दास नही दर्ज कर मात्र जी के दास दर्ज कर दिया गया [illegible] यह कि खसरा संख्या [illegible] की 54 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मौजा हेटम जी में स्थित है उक्त तथ्य को प्रार्थी द्वारा जानबूझकर छुपाकर उपरोक्त पद संख्या 12 में वर्णित पड़ोस वाली प्रार्थी की खातेदारी भूमि न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने हेतु इस पद में दर्ज की गई है एवं प्रार्थी की भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे की भूमि स्थित होना बताया जबकि दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी श्रीमति प्रणति दास के खातेदारी की खसरा संख्या 381/118 की रकबा 39/1090 व 34/1090 स्थित है।

13/02/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी स्वयं के खातेदारी की भूमि को छोड़कर अन्य किसी की भूमि पर कब्जा नही किया प्रार्थी द्वारा झूठी शिकायत कर एवं नगरपालिका आबूपर्वत से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी श्रीमति प्रणतिदास के खातेदारी की खसरा संख्या 381 वटा 118 पर 40 वर्ष पूर्व निर्मित पूर्व खातेदार की बाउंड्री वाल व मकान को अवैध रूप से ध्वस्त कराया गया जबकि खसरा संख्या 381 वटा 118 की कृषि भूमि का कुल रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा है एवं वह आज तक अविभाजित कृषि भूमि है जिसके किसी भी विशेष हिस्से पर जब तक कि विभाजन नही हो जाता प्रार्थी को कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि मौजा हेटमजी स्थित खसरा संख्या 381 वटा 118 की 54 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जे एवं उपयोग उपभोग की है जिसका आज तक मौके पर विभाजन नही हुआ है इस कारण प्रार्थी जब तक कि विभाजन नही हो जाता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(19) के तहत सुधार करवाने का अधिकारी नही है । यह कि प्रार्थी की कोई भी कृषि भूमि सेंट मेरीज रोड़ आबूपर्वत में स्थित नही है प्रार्थी द्वारा जानबूझकर खसरा नंबर छुपाकर गलत तथ्य अभिवचन कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व मनन किया व पाया कि पत्रावली में उपलब्ध कार्यालय नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत के कार्यवाही विवरण में उल्लेख है कि दिनांक 25.02.2022 को मौका निरीक्षण में पाया गया कि खसरा नंबर 381/118 की भूमि पर जी.के.दास द्वारा पूर्व की स्थिति से छेड़छाड़ करते हुए पूर्व निर्धारित बाउण्ड्री वॉल को लगभग 15 से 20 फीट आगे की तरफ विस्तार करते हुए नयी बाउण्ड्री वॉल मय फैसिंग द्वारा कायम किया हुआ पाया गया तथा मौके पर बाउण्ड्री वॉल एवं फैसिंग को ध्वस्त किया गया तथा तहसीलदार देलदर की रिपोर्ट के अनुसार श्री श्याम गोविन्द पुत्र जमनालाल माथुर निवासी उदयपुर के हिस्से की भूमि 19/1990 राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी हरिसिंह गहलोत का नाम दर्ज हो चुका है। चूंकि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी खसरा संख्या 381/118 में कुछ हिस्से में खातेदार दर्ज है व खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है तथा खसरा संख्या 381/118 का विभाजन का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही से खारिज योग्य है ।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी खसरा संख्या 381/118 में कुछ हिस्से में खातेदार दर्ज है व खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है तथा खसरा संख्या 381/118 का विभाजन का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को पावंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्सों में आवागमन को किसी प्रकार से वाधित नही करें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल जैन) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested